

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/वो II/2018 दिनांक-14.09.18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,
जयपुर।


रजिस्टर्ड/ईमेल

विषय:-श्रीमती मंजु पारीक, अध्यापिका राबाउप्रावि बाबु का टीबा, जयपुर पूर्व को विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंग:-आपका पत्रांक 673 दिनांक 18.08.18


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि श्रीमती मंजु पारीक, अध्यापिका राबाउप्रावि बाबु का टीबा, जयपुर पूर्व जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.01.1989 है तथा राज्य सेवा में स्थाई रूप से कार्यरत है, को दिनांक 20.09.18 से 16.11.2018 तक की अवधि में **आस्ट्रेलिया** हेतु विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:-

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
 2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 3. विदेश में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
 4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
 5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
 6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
 7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
 8. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पतों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएँगे।
 9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
 10. विदेश यात्रा अवधि में शाला में अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।
- उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:-

1. श्रीमती मंजु पारीक, अध्यापिका राबाउप्रावि बाबु का टीबा, जयपुर पूर्व
2. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर